



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-07072026-274233
CG-JH-E-07072026-274233

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2026/आषाढ 15, 1948

No. 517]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2026/ASHADHA 15, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

अधिसूचना

धनबाद, 1 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 575(अ).— उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम 152 के उप-नियम (3) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, उज्ज्वल ताह, खानों का मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, जिसे खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित किया गया है, एतद्वारा बचाव दल के सदस्यों द्वारा संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतों को निम्नानुसार निर्दिष्ट करता/करती हूँ:

दायरा: ये मानक उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम 152 के उप-नियम (3) के तहत आवश्यक श्वसन यंत्र का उपयोग करते समय बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतों के कोड को निर्दिष्ट करते हैं।

प्रयोज्यता: ये मानक भूमिगत खानों में श्वसन यंत्र का उपयोग करते समय संचार के लिए सभी बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों पर लागू होंगे।

अनुपालन आवश्यकता:

संकेतों की संहिता

क. बचाव दल के सदस्यों के बीच

1. एक बार हॉर्न बजाना: "संकट" या "मदद चाहिए" (यदि कोई उत्तर न मिले, तो "संकट" समझा जाना चाहिए)।
2. दो बार हॉर्न बजाना: रुकना
3. तीन बार हॉर्न बजाना: पीछे हटना
4. चार बार हॉर्न बजाना: आगे बढ़ना

[फा. सं. डीजीएमएस/01-5/2026/सोमा (मुख्यालय)]

उज्ज्वल ताह, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General Of Mines Safety)

NOTIFICATION

Dhanbad, the 1st July, 2026

G.S.R. 575(E).— In exercise of the powers conferred on me under sub-rule (3) of rule 152 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, I, Ujjwal Tah, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines, also designated as the Director General of Mines Safety, hereby, specify the signals to be used by members of a rescue team for communication, as follows:

Scope: These standards specify the code of signals to be used by rescue trained persons for communication while using breathing apparatus, as required under sub-rule (3) of rule 152 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

Applicability: These standards shall be applicable to all persons rescue trained persons for communication while using breathing apparatus in belowground mines.

Compliance Requirement:

Code of Signals

A. Between members of rescue team

1. One hoot : "Distress" or "Help Wanted" (if no answer given to call, "Distress" to be understood).
2. Two hoots : Halt
3. Three hoots : Retire
4. Four hoots : Advance

[F. No. DGMS/01-5/2026/SOMA(HQ)]

UJJWAL TAH, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines